बी० एड० III Semester

हिन्दी शिक्षण -

इकाई - (2-)

(अ) मातृभाषा शिक्षण एवं उसका महत्व -

मातृभाषा अर्थात् माँ से सीखी हुई भाषा - जिस भाषा को कोई बच्चा अपनी माता का अनुकरण करके सीखता है, वह उस बच्चे की मातृभाषा कही जाती है। इस परिभाषा के अनुसार भिन्न-भिन्न बोलियाँ (क्षेत्रीय भाषाएँ) उन क्षेत्रों के बच्चों की मातृभाषाओं होंगी, लेकिन आज इस संकुचित परिभाषा को नहीं माना जाता है।

विस्तृत अर्थ में मातृभाषा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की उस भाषा से होता है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित व्यक्ति मौखिक एवं लिखित रूप में विचार-विनिमय करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार उत्तर-प्रदेश के व्यक्तियों की मातृभाषा हिन्दी है।

माता और मातृभूमि के समान मातृभाषा भी वन्दनीय होती है। यह हमारे विकास की आधारशिला होती है।

महात्मा गाँधी के अनुसार -

"मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी आवश्यक है, जितनी कि बच्चे के विकास के लिए माता का दूध। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है - इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरुद्ध पाप समझता हूँ।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

मातृभाषा शिक्षण का महत्व -

उत्तर-प्रदेश में गाँव के बालक प्रारम्भ में अपनी आविभिव्यक्ति प्राय: अवधी, ब्रज, भोजपुरी बोलियों के माध्यम से करते हैं फिर भी उत्तर-प्रदेश के शिष्ट समाज के विचार-विनिमय का माध्यम खड़ी बोली हिन्दी है। उत्तर-प्रदेश की मातृभाषा हिन्दी ही है। यही हमारे विचारों और कार्यों का संकलन है।

मातृभाषा में ही हमारी संस्कृति का इतिहास निहित रहता है। उसके द्वारा हम अपने घर, जाति और उन भाषा-भाषियों से एक सूत्र में बँध जाते हैं। उसके प्रयोग से हम अनुभव करते हैं कि वह हमारी कोई निजी की सम्पत्ति है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने लिखा है:—

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥

इस दृष्टि से उसके सर्वप्रमुख महत्व है:—

(१) अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम —

माता और मातृभूमि के समान इस भाषा पर बच्चे का जन्म-सिद्ध अधिकार होता है। वे अपने विचार जितनी सुगमता के साथ अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं, उतनी सुगमता से किसी अन्य भाषा में नहीं।

(२) अध्ययन की आधारशिला — मातृभाषा विचार-विनिमय का सरलतम साधन होती है,

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

सलिए इसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। शिक्षा का माध्यम होने के कारण यह अन्य भाषाओं और समस्त ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन की आधार शिला होती है। आगे चलकर बच्चे अपनी इसी भाषा में विचार करते हैं और यह उनकी शिक्षा आधारशिला होती है।

(3.) बच्चे के विकास का प्रमुख साधन —

बच्चे के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास में सबसे अधिक हाथ मातृभाषा और उसके ~~साहित्य~~ साहित्य का होता है। किसी भी देश में किसी भी काल में कोई भी विचारधारा क्यों न रही हो पर सभी ने शिक्षा द्वारा बच्चे का शारीरिक, मानसिक बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना अवश्य चाहा है। मातृभाषा और उसके साहित्य के अध्ययन से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है —

(अ) मातृभाषा और बच्चे का शारीरिक विकास —

शरीर के विकास के लिए जितना पौष्टिक भोजन आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक पूरी नींद और प्रसन्नचित्त रहना। मातृभाषा दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती है।

(स) बच्चे का मानसिक एवं बौद्धिक विकास —

मानसिक विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता विचार शक्ति की होती है। विचार तथा भाषा का अटूट सम्बन्ध होता है, विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को। मातृभाषा के माध्यम से वह अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है।

(घ) चारित्रिक एवं नैतिक विकास —

माताएँ बच्चों को रोचक व नैतिक कहानियाँ सुनाती हैं और आगे चलकर बच्चे भाषा की पुस्तकों में भी इसीप्रकार के लेख, कहानी, नाटक और कवितायें आदि पढ़ते हैं, जिससे उनके चरित्र का निर्माण होता है। इस प्रकार मातृभाषा और उसके साहित्य के अध्ययन से बच्चों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास भी होता है।

(ङ) बच्चे का सामाजिक विकास —

मातृभाषा की पुस्तकों में संकलित लेख, कहानी, नाटक और कविताओं के माध्यम से भी सामाजिकता की शिक्षा मिलती है और इसप्रकार बच्चों का जाने-अनजाने सामाजिक विकास होता है।

ख) सांस्कृतिक विकास —

साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसके कोष में जाति के अनुभव, विचार मूल्य और मान्यताएँ निहित होती हैं। उसके अध्ययन से बच्चों का सांस्कृतिक विकास होना स्वाभाविक है। मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के दो पहलू हैं — एक लोक-जीवन और दूसरा उसकी मातृभाषा का साहित्य।

(ग) आध्यात्मिक विकास —

अध्यात्म वैचारिक अनुभूति का विषय है और विचार जितनी सरलता और स्पष्टता के साथ मातृभाषा में अभिव्यक्त किये जा सकते हैं, उतनी सरलता और स्पष्टता के साथ अन्य किसी भाषा में नहीं। अर्थात अध्यात्म का ज्ञान और उसकी अनुभूति मातृभाषा के माध्यम से ही सम्भव है।

व्यावसायिक शिक्षा — दूसरी भाषा के माध्यम से हमें व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी बाधा आ रही है। यदि इन सबका ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से दिया जाए तो हम उसे अपेक्षाकृत सरलता और स्पष्टता के साथ समझ सकेंगे और हमारा व्यावसायिक विकास उच्च श्रेणी का होगा।

(ङ) नागरिकता की शिक्षा — समाज की दृष्टि से व्यक्ति सामाजिक प्राणी कहा जाता है और राज्य की दृष्टि से नागरिक। स्पष्ट है कि जब सामाजिकता के विकास के लिए मातृभाषा की आवश्यकता होती है तो नागरिकता की शिक्षा भी उसके अभाव में नहीं दी जा सकती।

(च) भावात्मक विकास — एक मातृभाषा-भाषी व्यक्तियों में आपस में प्रेम रहता है, वे एक दूसरे से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसप्रकार मातृभाषा भावात्मक विकास तथा एकता उत्पन्न करने एवं उसे विकसित करने में सहायक होती है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

राष्ट्रीय एकता के विकास में हिन्दी की भूमिका

मातृभाषा ही प्राय: राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होती है, राष्ट्रभाषा किसी देश-विशेष की एक सामान्य भाषा होती है, जिसके माध्यम से उस देश के अधिकांश व्यक्ति विचार-विनिमय करते हैं। राजकाज की इसी भाषा में होता है। यदि देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता होता उस देश के व्यक्तियों में अन्तर होगा। इसी अन्तर को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक होता है।

यदि यह भाषा मातृभाषा होती है तो इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता स्वभावत: बनी रहती है। इसके अतिरिक्त भाषा की पुस्तकों में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रसेवा सम्बन्धी लेख, कहानी, नाटक और कविताएँ संकलित होती हैं, उनके अध्ययन से बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद प्राप्त हुआ। क्योंकि भारत के संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण पद प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के पोषकों ने भी हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान न प्राप्त करने दिया। वैसे राष्ट्रभाषा बनाये जाने के सभी गुणों से हिन्दी अलंकृत है। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसे देश की अधिकांश जनता बोलती तथा समझती है।

आज राष्ट्रभाषा के रूप में 'हिन्दी' सब को मान्य है। जो जन साधारण की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुकूल है। क्योंकि हिन्दी केवल अधिकांश लोगों की मातृभाषा तथा अधिकांश प्रदेशों की प्रादेशिक भाषा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रान्तों के परस्पर सम्पर्क का व्यावहारिक साधन भी है।

इसे सम्मान देने के लिए हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिन्दी को इसीदिन अर्थात् 14 सितम्बर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज के दिन हम इसे पर्व के रूप में मनाकर विश्व में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं।

राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व निम्न रूपों में आँका जा सकता है:—

(1) हिन्दी भाषा भावात्मक एकता का सशक्त साधन है।
(2) यह भारतीय संस्कृति के प्रतिबिम्ब के रूप में है।
(3) हिन्दी भाषा मातृभाषा सीखने में सहायक है।
(4) हिन्दी भाषा में व्यापक साहित्य है।
(5) समस्त राष्ट्र की व्यावहारिक भाषा है।
(6) भारत के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

) हिन्दी भाषा का प्रान्तीय प्रशासन में योगदान है।
(8.) हिन्दी भाषा का व्यावसायिक दृष्टिकोण में योगदान है।

हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य –

आधुनिक शिक्षा के एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार – "शिक्षा - एक मनोरथपूर्ण तथा नैतिक सरगर्मी है। अत: इसका उद्देश्यों के बिना विचार करना उचित नहीं है।"

हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में उद्देश्य के बिना नहीं चल सकते। उद्देश्य शिक्षा - नियोजक को दूरदर्शिता प्रदान करते हैं।

शिक्षा में उद्देश्यों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है और इसके कारण इस प्रकार हैं: –

(1-) कोशिशों का निर्देशन – यदि हमें उद्देश्यों का ठीक-ठीक पता लग जाए तो हम अपनी कोशिश इसी ओर लगा सकते हैं।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

(2-) अपव्यय को दूर करना – शिक्षा के उद्देश्य हमारे समय व शक्ति को नष्ट होने से बचाते हैं।

(3-) वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन करना – हम शिक्षकों के रूप में वर्तमान स्थितियों जैसे कि शिक्षा के विषय, पढ़ाने की विधियाँ, अध्यापकों की कुशलता, पुस्तकालय का साज-सामान, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सम्बन्धी सरगर्मियों का उद्देश्यों की रोशनी में मूल्यांकन करते हैं तथा भविष्य के लिए योजना बनाते हैं।

करुणापति त्रिपाठी के शब्दों में – "सामूहिक रूप से भाषा की शिक्षा का उद्देश्य होगा - दूसरों द्वारा कही और लिखी

बातों को ठीक-ठीक समझ सकने योग्य छात्रों को बनाते हुए प्रभावशाली, आकर्षक, शुद्ध तथा रुचिकर शैली के अवसर परिस्थितियों के अनुकूल भाषा को ऐसे ढंग से प्रयोग कर सकने की क्षमता उत्पन्न करना, जिससे अभीष्ट सिद्धि में सहायता मिले।"

भाषा- शिक्षण के विशेष उद्देश्यों को निम्न पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं; —

(अ) ज्ञानात्मक उद्देश्य — ज्ञानात्मक उद्देश्य छात्रों को हिन्दी भाषा एवं साहित्य की मूलभूत बातों का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसप्रकार निम्नांकित उद्देश्य प्रमुख हो सकते हैं; —

(1-) विद्यार्थियों को विश्लेषण, सामाजिक, पौराणिक आदि तथ्य से परिचित कराना।

(2-) उच्चतर, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य के इतिहास की सामान्य जानकारी करानी चाहिए।

(3-) माध्यमिक स्तर पर हिन्दी की विविध विधाएँ यथा कहानी, निबन्ध, उपन्यास, काव्य आदि का सामान्य ज्ञान प्रदान करना।

(4-) विद्यार्थियों में विश्लेषण, तुलना, वर्गीकरण एवं उदाहरण देने की क्षमता का विकास होना चाहिए।

(5-) रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना।

(6-) छात्रों को शब्द, ध्वनि एवं वाक्य- रचना का ज्ञान कराना।

(ब) कौशलात्मक उद्देश्य — भाषा के कौशल के अन्तर्गत लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, अर्थ, भाव आदि समझना सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत हिन्दी भाषा के निम्नांकित उद्देश्य सम्मिलित हैं; —

(1-) सारांश ग्रहण करने एवं मूल्यांकन के लिए छात्रों को तैयार करना।

(2-) आरोह- अवरोह के साथ भाषा का अध्ययन कराना।

5) मुहावरें, उक्तियों, उदाहरणों की जानकारी कराना।
(4) बोलकर अपने भावों को प्रकट करने की क्षमता विकसित करना
(5) अभिव्यक्ति के लिए बोलकर या लिखकर अपनी क्षमता प्रदर्शित करना।
(6) तथ्यों को पढ़कर भाव ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना।
(7) तथ्यों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने या भाव समझने की क्षमता लाना।

(स) सृजनात्मक उद्देश्य — सृजनात्मक उद्देश्य का अभिप्राय विद्यार्थियों में सृजन अथवा रचना की क्षमता पैदा करना है। विद्यार्थियों को निबन्ध, कविता, संवाद, कहानी, पत्र, उपन्यास आदि लिखने के लिए प्रेरित करना, अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है:—

(1) विचारों एवं कल्पना के सम्मिश्रण से अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयास करना।
(2) भावों की अभिव्यंजना तथा विचारों के प्रकटीकरण के लिए प्रेरित करना।
(3) विद्यार्थियों को विषय एवं प्रसंग के अनुसार शैली का ज्ञान कराना तथा उसका उपयोग कराना।
(4) विद्यार्थियों को निबन्ध, कहानी, कविता, उपन्यास, पत्र, संवाद आदि की संरचना के लिए निरन्तर प्रोत्साहन प्रदान करना।
(5) स्वाध्याय के लिए अवसर प्रदान करना।
(6) विद्यार्थियों को लिखने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना।

मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पण्डेयपुर, ताखा, बलिया

(घ) अभिवृत्यात्मक उद्देश्य — इस उद्देश्य का अभिप्राय है, छात्रों के दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का सम्यक् विकास करना। दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति के पूर्ण विकास से मौलिकता का जन्म होता है। इस उद्देश्यों की सम्पूर्ति के लिए छात्रों के अन्दर निम्न योग्यताएँ विकसित करनी चाहिए:—

(१.) विद्यालय तथा समाज के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना।

(२.) विद्यालय पत्रिका में विद्यार्थियों का सहयोग लेना।

(३.) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का अध्ययन करना।

(४.) अध्ययन के प्रति उनकी रुचि जाग्रत करना।

(५.) संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन करना एवं विभिन्न समितियों का सदस्य बनना एवं उनका संचालन करना।

(घ) रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य —

भाषा एवं साहित्य का यह उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत निम्न विचार आते हैं। —

(१.) साहित्य के विविध पक्षों की समालोचना का अध्ययन करना तथा स्वयं समालोचना करना।

(२.) रसात्मक अनुभूति कराना या साहित्य का रसास्वादन करना।

इस उद्देश्य में विद्यार्थियों को साहित्य के रस की अनुभूति कराई जाती है और रसानुभूति के बाद उसकी समालोचना प्रस्तुत की जाती है।

21/08/2020

प्रवक्ता
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया